फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री भगाराम **विपक्षी : श्री सुखलाल**

किस्म मुकदमा – 212 रा.का. अधिनियम **पत्रावली संख्या : 21/23**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक : 15.02.2024

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता विपक्षीगण सं. 1 से 3 द्वारा अपनी बहस में जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया हैं। पत्रावली के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि वर्तमान में प्रार्थी एवं अन्य सहखातेदार के नाम हिस्सेनुसार दर्ज हैं। विपक्षी सं. 1 से 3 द्वारा प्रार्थी की भूमि में दखलन्दाजी करने से विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराना चाह रहा हैं। विपक्षी सं. 1 से 3 द्वारा वादग्रस्त भूमि को खातेदार नारायण पिता भजा डांगी का सम्पूर्ण हिस्सा विपक्षीगण के पिता/दादा ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 15.10.1969 से क्रय करना बताकर खरीदशुदा हिस्से पर काबिज हो रहने के लिए आवासीय मकान व मवेशियों हेतु बाडा बनाना बताया, परन्तु उक्त विक्रय का नामान्तरकरण पारित नहीं होने से भूमि खातेदार नारायण पिता भजा डांगी के नाम ही चली आ रही हैं। प्रार्थी द्वारा विपक्षीगण को मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का निवेदन किया, परन्तु विपक्षीगण के पिता/दादा द्वारा भूमि क्रय करने के तथ्य को नकारा भी नहीं जा सकता हैं। ऐसी स्थिति में यदि विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है तो उसके हक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा। अतः प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होते हैं। शेष अन्य बिन्दु मूल वाद में साक्ष्य सबूत आदि के आधार पर मेरिट पर तय किये जावेगे। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता हैं।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

(उपेन्द्र कुमार शर्मा)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified
Digitally signed by Upendra Kumar Sharma
Date: 2024.02.23 16:01:25 IST
Reason: SelfAttested